भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स बल्गी भूमिगत खदान, एस.ई.सी.एल., ग्राम–बल्गी, पो.आ. –बल्गी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा(छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार (0.36 एम.टी.पी.ए. से 0.60 एम.टी.पी.ए. नारमेटिव 0.90 एम.टी.पी.ए. पिक उत्पादन सहित) की दिनांक 24.11.2010, दिन–बुधवार, स्थान– तहसील कार्यालय परिसर, कटघोरा, जिला–कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

————————————————————————————————

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स बल्गी भूमिगत खदान, एस.ई.सी.एल., ग्राम–बल्गी, पो.आ.–बल्गी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा(छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार (0.36 एम.टी.पी.ए. से 0.60 एम.टी.पी.ए. नारमेटिव 0.90 एम.टी.पी.ए. पिक उत्पादन सहित) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 24.11.2010, दिन–बुधवार को तहसील कार्यालय परिसर, कटघोरा, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री यू.के. गुप्ता, नोडल अधिकारी(पर्यावरण), मेसर्स बल्गी भूमिगत खदान द्वारा परियोजना और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई. आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स बल्गी भूमिगत खदान, एस.ई.सी.एल., ग्राम–बल्गी, पो.आ.–बल्गी, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा(छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार (0.36 एम.टी.पी.ए. से 0.

60 एम.टी.पी.ए. नारमेटिव 0.90 एम.टी.पी.ए. पिक उत्पादन सहित) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई हेतु सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 23.11.2010 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 11 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 24.11.2010 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 11 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 22 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 11 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं :–

1. ग्राम बल्गी के तालाब का सफाई एवं गहरीकरण कार्य नहीं किया जाता है, जिससे ग्रामवासियों को आवश्यक निस्तारी एवं अन्य कार्य में असुविधा होती है। अतएव खदान प्रबंधन द्वारा नियमित एवं आवश्यक रूप से तालाब की साफ सफाई एंव गहरीकरण कार्य कराया जावे।

2. खदान से उत्पन्न माईन वाटर को उपचारित न कर सीधे खुली भूमि में निस्सारित कर दिया जाता है, जिससे कृषि भूमि प्रभावित हुई है। इसका हमे मुआवजा दिलाया जावे तथा हमारी मांग है कि खदान से उत्पन्न माईन वाटर को उपचारित कर कृषि एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु उपचारित माईन वाटर उपलब्ध करावें।

3. परियोजना से लगे हुए आसपास के सभी ग्रामों के प्रत्येक परिवारों को 05 नग फलदार एवं इमारती लकड़ी वाले पौधे प्रदान किये जावे।

4. लाटा से बलगीखार जाने वाली सड़क का मरम्मतीय कार्य करवाया जावे, साथ ही परिवहन मार्गों में समुचित बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराई जावे ताकि आवागमन में सुविधा हो सके।

5. ग्रामों में स्कूल भवन एवं सामुदायिक भवन अत्यंत जर्जर हो चुके है। इसका मरम्मीय कार्य आवश्यक रूप से करवाया जावे तथा भविष्य में सामुदायिक विकास के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जावे।

6. ग्राम के पास भूमिगत खदान होने से भूजल स्तर नीचे चला गया है, जिससे यहॉ ग्रामीणों को पेयजल की समस्या बनी रहती है। खान प्रबंधन सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

7. खदान से ट्रकों के माध्यम से कोयला परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग अत्यंत जर्जर हो चुका हैं जिससे मार्गों में डस्ट प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। इन मार्गों का मरम्मतीय कार्य आवश्यक रूप से किया जावे।

8. परिवहन मार्गों के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावे।

9. खदान से प्रभावित ग्रामों के बेरोजगार युवकों को योग्यतानुसार नौकरी/ रोजगार उपलब्ध कराया जावे।

10. सुराकछार बस्ती के पास विगत 3 से 4 माह पूर्व जमीन धॅसने से कृषि भूमि प्रभावित हुई है। प्रभावित फसलों का मुआवजा दिलाया जावे साथ ही माईन प्रबंधन द्वारा आज दिनांक तक धॅसी हुई भूमि में भराव कार्य नहीं किया गया है। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाया जावे।

उपरोक्त समस्त चिंताओं की टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में संस्थान द्वारा निम्नानुसार जानकारी प्रदान की गई :–

1. सामुदायिक विकास कार्य के तहत् इस कार्य को पिछले वर्ष कराया गया है। असुविधा होने पर पुनः इस कार्य को सामुदायिक विकास कार्य के तहत् कराया जायेगा।

2. खदान से उत्पन्न पानी को सेटलिंग टैंक में इकट्ठा कर उपचारित करने के बाद ही पानी को पेयजल, कृषि कार्य तथा अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जाता है।

3. परियोजना से प्रभावित आसपास के गाँवों में परिवारों को 5 नग फलदार एवं इमारती लकड़ी वाले पौधे प्रदान किये जायेंगे।

4. ग्राम लाटा से बलगीखार जाने वाली सड़क का डमरीकरा पिछले 3–4 साल पूर्व कराया गया था। इस रोड का पुनः मरम्मत का कार्य सामुदायिक विकास के तहत् कराया जायेगा।

5. सामुदायिक विकास के तहत विभिन्न स्कूलों में नये कमरे का निर्माण किया गया है। भविष्य में स्कूलों की मरम्मत तथ अन्य कार्य सामुदायिक विकास कार्यों के तहत् कराये जायेंगे।

6. प्रभावित ग्रामों में पेयजल हेतु हैंडपंप लगाये गये है तथा पाईप लाईन बिछाकर पेयजल की आपूर्ति की जाती है।

7. बल्गी से सुराकछार तक कोयला परिवहन मार्ग का डामरीकरण कर दिया गया है।

8. कोयला परिवहन मार्ग के दोनों ओर सघन वृक्षारोपण कराया जायेगा।

9. चूंकि परियोजना के क्षमता विस्तार हेतु कोई अन्य भूमि का अर्जन नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस क्षमता विस्तार में किसी व्यक्ति के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। इस बाबत् कोल इण्डिया की पुनर्वास नीति के तहत् नियमानुसर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

10. सुराकछार बस्ती के पास विगत 3–4 माह पूर्व जमीन में दरार पड़ने की घटना की जाँच सरकार की स्वतंत्र संस्था सेंट्रल माईन रिसर्च इंस्टीट्यूट, राँची द्वारा की जा रही है कि रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 24.11.2010 को आयोजित लोक सुनवाई की समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई है।

लोक सुनवाई में लिखित में प्राप्त कुल 22 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ, लोक सुनवाई के दौरान 11 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो फिल्म (असंपादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)